

201

77

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

R. 5075/6/15

टिकट उफलावध नदी के
मिलने पर लगाने के लिए

7
6.10.15

1. कुसुम सिंह पत्नी बेवा, रावेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र 75 वर्ष,
 2. कमलेश्वर सिंह तनय स्व. रावेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र 52 वर्ष,
 3. अशोक सिंह तनय स्व. रावेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र 50 वर्ष,
 4. जयपाल सिंह तनय स्व. रावेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र 46 वर्ष,
 5. मनोज सिंह तनय स्व. रावेन्द्र प्रताप सिंह, उम्र 42 वर्ष,
 6. सत्य नारायण सिंह तनय राजप्रताप सिंह, उम्र 40 वर्ष,
- सभी निवासी ग्राम टीकठ खुर्द, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सरोज सिंह पिता रमा गोविन्द सिंह, उम्र वर्ष,
 2. मंगलेश्वर सिंह पिता रमा गोविन्द सिंह, उम्र वर्ष,
 3. जगत बहादुर सिंह पिता रमा गोविन्द सिंह, उम्र वर्ष,
- सभी निवासी ग्राम टीकठ खुर्द, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... गैर निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर
कलेक्टर सीधी, (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण
क्र. 113/निग./2009-10 में पारित आदेश
दिनांक 22.02.2012
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-
राजस्व संहिता 1959 ईस्वी।

राकेश कुमार मिश्रा एड
6-10-15 के

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

राकेश कुमार मिश्रा
6/10/15

(77)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R.5075-115 जिला- सीधी

कुसुम सिंह विरुद्ध राजेश सिंह

(1)	(2)	(3)
	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- सीधी के प्रकरण क्रमांक 1131 (श्री. 109-10) में पारित आदेश दिनांक 22-02-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	